

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2025/1055

भिलाई, दिनांक 05.02.25

//आदेश//

श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2022/1141 भिलाई, दिनांक 07.11.2022 के द्वारा पार्षदपति एवं उनके साथ उपस्थित अन्य व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया गया था।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ-1/सा.प्र.वि./शि.जां./2024/496 भिलाई, दिनांक 08.08.2024 के द्वारा भविष्य में दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की असावधानी, ना करने की अंतिम चेतावनी देते हुए विभागीय जांच समाप्त किया गया है।

अतः श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक के निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य करते हुए निलंबन से बहाल किया जाता है तथा जोन क्रमांक 03 मदरटेरेसा नगर में पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 05.02.25

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2025/1056
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता 77 एम.एल.डी. (जलकार्य) नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 3 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
11. श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई